अनुदान संख्या 80 – ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 80–DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	13598,96,00		16028,42,00	16015,52,09	–12,89,91
पूरक	Supplementary	2429,46,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8,62,95
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			5,00,00	5,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	224200.00	289500.00	289563.00	+63.00
पू.	S.	40000.00			
पु.	R.	25300.00			
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	90000.00	99659.19	99658.63	–0.56
पु.	R.	9659.19			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2505" ग्रामीण रोजगार	Major Head "2505" Rural Employment				
मू.	O.	459000.00			
पू.	S.	202000.00	712025.27	711834.46	–190.81
पु.	R.	51025.27			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programme				
मू.	O.	34161.00			
पू.	S.	811.00	38326.28	38279.21	–47.07
पु.	R.	3354.28			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	114374.00			
पू.	S.	91.00	1.00	. .	–1.00
पु.	R.	–114464.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	436700.00	460882.00	460620.69	–261.31
पु.	R.	24182.00			

(I) 114512.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 114510.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2505" - "अन्य कार्यक्रम - राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम"-

(क) "सूचना, शिक्षा और संचार"- 35.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों

(I) Provision of Rs.114512.00 lakhs remained unutilised under four heads; of these Rs.114510.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2505" – "Other Programmes – National Food for Work Programme" –

(a) "Information, Education and Communication"– supplementary provision

के लिए निधियां जारी किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण था।

(ख) ''मानव संसाधन विकास''- 10.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान निधियां जारी किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 114465.00 लाख रु. (दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 91.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष निधियां व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2505'' - ''अन्य कार्यक्रम - राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सहायता'' के अंतर्गत दिसंबर, 2004 में प्राप्त किया गया 55.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान निधियां जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण 13.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''अन्य व्यय - निगरानी तंत्र'' के अंतर्गत 436.15 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन, निगरानी एवं सतर्कता समिति के संबंध में निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन अनुसंधान संगठनों तथा राज्यों के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः-

(I) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - इंदिरा आवास योजना/समग्र आवास योजना/जमा एवं आर्थिक सहायता स्कीम''- 25369.35 लाख रु. का अधिक व्यय (40000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 263385.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मुख्य शीर्ष ''2552'' से निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

of Rs.35.00 lakhs – due to non-receipt of proposals for release of funds for Information, Education and Communication activities.

(b) "Human Resource Development" – supplementary provision of Rs.10.00 lakhs - due to non-receipt of proposals for release of funds.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure – Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.114465.00 lakhs (including supplementary provision of Rs.91.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005) – due to re-appropriation of funds for meeting expenditure on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim to functional heads and surrender of remaining funds to non-lapsable pool.

(II) Under Major Head "2505" – "Other Programmes – National Food for Work Programme – Assistance to District Rural Development Agencies" – supplementary provision of Rs.55.00 lakhs obtained in December, 2004 remained unutilised to the extent of Rs.13.09 lakhs due to non-receipt of proposals for release of funds.

(III) Under Major Head "2515" – "Other Expenditure – Monitoring Machanism" – saving of Rs.436.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals for monitoring and evaluation studies research oragnisations and States for funding, monitoring and vigilance committee.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2216" – "Rural Housing – Other Expenditure - Indira Awaas Yojana/Samagra Awaas Yojana/Credit-cum-Subsidy Schemes" - excess of Rs.25369.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.263385.00 lakhs including supplementary grant of Rs.40000.00 lakhs) obtained in December, 2004 was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" on the basis of actual requirement of funds for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों तथा अन्यों को सहायता''- 9633.98 लाख रु. का अधिक व्यय (87078.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से निधियां जारी करने के लिए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्रऔर सिक्किम से निधियों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मुख्य शीर्ष ''2552'' से निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(II) Major Head "2501" – "Self Employment Programme – Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies and Others" – excess of Rs.9633.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.87078.00 lakhs) was due to receipt of more proposals for release of funds from various implementing agencies and also re-appropriation of funds from Major Head "2552" on the basis of actual requirement of funds from the North Eastern Region and Sikkim.

(III) मुख्य शीर्ष ''2505'' - ''अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना''- अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(III) Major Head "2505" – "Other Programmes – Sampoorna Gramin Rozgar Yojana" – excess occurred under the following heads:-

(का) ''विशेष संघटक''- 2000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (28000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(A) "Special Component" – excess of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28000.00 lakhs).

(खा) ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए नकद सहायता''- 44839.57 लाख रु. का अधिक व्यय (405000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Cash Assistance for Food for Work Programme" – excess of Rs.44839.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.405000.00 lakhs).

(गा) ''खाद्यान्न संघटक''- 4000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (26000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(C) "Food Grain Component" – excess of Rs.4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26000.00 lakhs).

(IV) मुख्य शीर्ष ''2515''-

(IV) Major Head "2515" -

(का) ''प्रशिक्षण - राज्य ग्रामीण विकास संस्थानें तथा अन्य अभिकरणों को सहायता''- 942.23 लाख रु. का अधिक व्यय (1241.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(A) "Training – Assistance to State Institutes of Rural Development and Other Agencies" – excess of Rs.942.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1241.00 lakhs).

(खा) ''अन्य व्यय''-

(B) "Other Expenditure" -

(क) ''संचार''- 230.93 लाख रु. का अधिक व्यय (1825.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) "Communication" – excess of Rs.230.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1825.00 lakhs).

(ख) ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरण - प्रशासन''- 2433.60 लाख रु. का अधिक व्यय (20700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "District Rural Development Agencies – Administration" – excess of Rs.2433.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20700.00 lakhs).

(V) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना''-

(V) Major Head "3054" – "District and Other Roads – Road Works – Pradhan Mantri Gram

23993.82 लाख रु. का अधिक व्यय (221900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से निधियां जारी करने के और अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने तथा साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 120.01 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 19 प्रतिशत था।

Sadak Yojana" - excess of Rs.23993.82 lakhs (against the sanctioned provision Rs. 221900.00 lakhs).

Excess under the above seven heads was due to receipt of more proposals for release of funds from various implementing agencies and also on account of re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern States Region and Sikkim.

(VI) Under two heads excess of Rs.120.01 lakhs occurred constituting 12 percent and 19 percent of the sanctioned provision.